जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी–1609 दिनांकः– 29/7/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 138वीं बैठक दिनांक 23.07.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	138.1	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 136वीं बैठक दिनांक 08.07.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 137वीं बैठक दिनांक 16.07.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 19.07.2013 को जारी किया गया, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेंगी।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 136वीं बैठक दिनांक 08.07.2013 को सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 15.07.2013 को जारी किया गया। एजेण्डा संख्या 136.07 पर प्रस्तावित प्रकरण में भवन की ऊँचाई 44 मीटर स्वीकृत की गई है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.04.2013 के अनुसार भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक प्रस्तावित होने पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। कार्यवाही विवरण जारी करते समय **भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली जावें,** अंकित नहीं किया गया। अतः जारी कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 136.07 में उक्त निर्णय को सम्मिलित माना जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया
2.	138.2	खसरा नम्बर 17 व 22, ग्राम–दुर्गापुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आवेदक को दिनांक 05.06.2013 को जारी मांग पत्र का अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवेदक के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जावे।
3.	138.3	खसरा नम्बर 956/1 (पार्ट), ग्राम–कालवाड़, तहसील–जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट भवन के मानचित्र	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः–

		अनुमोदन बाबत्।	1. उपायुक्त जोन द्वारा भूखण्ड़ का सीमाज्ञान एवं मौके पर 18 मीटर चौड़ी सड़क का डिर्माकेशन किया जावे। 2. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

29/7/13

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 138वीं बैठक दिनांक 23.07.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर।	सदस्य
4.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रितः–

7. श्री जी.एल. शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री सोहन लाल, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।

29/7/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि. / बीपीसी / 2013 / डी– 1609 दिनांकः– 29/7/2013

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (प्रशासन) / (एलपीसी) / (भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.........जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

29/7/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)